न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्याः— 41/2018 दिनांकः—30.01.2020

1. परमेश्वरलाल पुत्र गजा(मृत)
   1क. जगदीश पुत्र परमेश्वरलाल
   1ख. सुभाष पुत्र परमेश्वरलाल
   1ग. विनोद पुत्र परमेश्वरलाल
   1घ. भगवती पुत्री परमेश्वरलाल
   1ड़. पुष्पा बेवाह परमेश्वरलाल
2. गिरधारी पुत्र विश्वनाथ
3. श्रवण पुत्र विश्वनाथ
4. कैलाश पुत्र विश्वनाथ
5. संतोष देवी बेवाह विश्वनाथ समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सवाईलक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार महोदय रामगढ—शेखावाटी जिला सीकर।
2. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रामगढ़—शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत उद्घोषणा व संशोधन

उपस्थिति अधिवक्ताः—श्री राजेश गोस्वामी

—:निर्णयः—

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ग्राम सवाईलक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ़—शेखावाटी के तन में 5 किता काश्त भूमियां खसरा नं. 4/1 रकबा 4.56 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 7.79 है0, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 102 रकबा 2.85 है0 तथा खसरा नम्बर 107 रकबा 1.91 है0 स्थित है जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 209 रकबा 1.43 है0 खसरा नम्बर 217 रकबा 1.9100 है0 खसरा नम्बर 219 रकबा 1.4200 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 4.5600 है0, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.04 है0, तथा खसरा नम्बर 8 रकबा 6.79 है0, स्थित है। जिसमें वादीगण के पूर्वज गजा के सजरा खानदान के अनुसार चार लड़के हुए थे जिसमे से प्रथम संतान सत्यनारायण, द्वितीय संतान बनवारी बचपन में ही गोद चले गये थे। सत्यनारायण कालूरामजी के गोद गया था तथा बनवारी धनजी के गोद गया था। उक्त दोनो संतानों के गोद चले जाने के पश्चात विवादित आराजियात से अपना साम्पतिक अधिकार समाप्त कर गोद गृहिता के यहा वल्दियत व पीढी मे आकर गोद गृहिता के शामिल परिवार हो गये।

(निधि सिंह) उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

विवादित आराजियात को वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजियात में वादीगण को हर प्रकार से कब्जा आधिपत्य है। बतौर मालिक स्वामी विरासत के आधार पर चला आ रहा है। जिसमें 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 1 के वारीसान काश्त करते है तथा शेष 1/2 हिस्से पर वादीगण संख्या 2 ता 5 काश्त कर रहे है तथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विवादित आराजियात को वादीगण ने ही काश्त की है।

Scanned by CamScanner

वादीगण के पूर्वज गजा की मृत्यु के पश्चात वादीगण को बिना सूचना व जानकारी के आधार पर ग्राम पंचायत में दिनांक 01.02.2001 को वादीगण के पूर्वज स्व. गजा की चारो संतान सत्यनारायण, बनवारी, परमेश्वरलाल व विश्वनाथ के नाम खातेदारी में नाम भरकर तत्कालीन संरपंच ने दिनांक 05.03.2001 को नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया तत्पश्चात राजस्व अभिलेखो में उक्त प्रकार नामान्तरकरण दर्ज हुआ जो वादीगण के विधिक अधिकारो के प्रतिकूल है तथा आरम्भ से ही शून्य व निरस्तनीय है, क्योकि स्व. गजा के दोनो बड़े लडके सत्यनारायण व बनवारी बचपन में ही अन्यत्र गोद चले जाने के कारण स्वतः ही उनका हिस्सा विवादित आराजियात में समाप्त होकर वादीगण के हिस्से में समाहित हो गया था, इसलिए वादीगण उक्त सत्यनारायण व बनवारी का नाम खातेदारी में हजफ करवाकर अपना नाम अंकित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के पूर्वज खातेदार का नाम खातेदारी में आरम्भ से ही गजा चला आ रहा था तथा खातेदार गजा की मृत्यु के पश्चात ही खातेदारी का नाम गजा ही चला आ रहा था लेकिन काश्त भूमियो का राजस्व अभिलेखों का स्थानीय कम्प्युटर में अभिलेख अंकित किये जाते समय सम्वत् 2059–62 के पश्चात की जमाबंदी सम्वत् 2073–76 की जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज गजा के नाम की जगह गंगा अंकित हो गया जिसे जरिये संशोधन गजा किया जाना न्यायोचित है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार रामगढ़ ने जबाब दावा पेश किया। वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रदर्श 01–जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 39, प्रदर्श 02–जमाबंदी सम्वत 2059–62 खाता संख्या 38, प्रदर्श 03–जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 39, प्रदर्श–04 खसरा गिरदावरी सम्वत 2018–21, प्रदर्श–05 खसरा गिरदावरी सम्वत 2013–16, प्रदर्श–06 खसरा गिरदावरी सम्वत 2013–16, प्रदर्श–07 खसरा गिरदावरी सम्वत 2055–58, प्रदर्श–08 नामान्तरकरण संख्या 176, प्रदर्श–09 भू–प्रबंध विभाग की खतौनी सम्वत 2066–85 आदि दस्तावेजात पेश किये गये तथा पी.डब्ल्यू 01 जगदीश, पी.डब्ल्यू 02 सुभाष, पी.डब्ल्यू 03 गिरधारी, पी.डब्ल्यू 04 श्रवण के शपथ पत्र पेश किये व वाद को डिक्री फरमाने का निवेदन किया गया।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावे कि विवादित काश्त भूमियां खसरा नम्बर 209 रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.9100 है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 1.4200 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 4.5600 है0, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.04 है0 तथा खसरा नम्बर 8 रकबा 6.79 है0 वाके ग्राम सवाईलक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी में स्थित है में वादीगण को सम्पूर्ण काश्त भूमियां का काबिज खातेदार उद्घोषित किया जाकर तत्पश्चात खातेदार सत्यनारायण व बनवारी का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाया जावे। तथा वादीगण के पूर्वज गजा की जगह अंकित गंगा को जरिये संशोधन हटाया जाकर गजा किया जावें।

(निर्मल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 4 से जाहिर होता है कि विवादित आराजी मृतक गजा के नाम दर्ज थी। गजा के चार पुत्र वादीगण के पूर्वज परमेश्वरलाल व विश्वनाथ तथा दो अन्य पुत्रगण सत्यनारायण व बनवारी है जिनका का नाम प्रदर्श 01 जमाबंदी सम्वत 2074–77, प्रदर्श 02 जमाबंदी संवत 2059–62, प्रदर्श 03 जमाबंदी सम्वत 2073–76, प्रदर्श 07 जमाबंदी सम्वत 2055–58, प्रदर्श 08 नामान्तरकरण संख्या 176 तथा प्रदर्श 09 में दर्ज है। वादीगण द्वारा इस आधार पर दो अन्य पुत्रों सत्यनारायण,

Scanned by CamScanner

बनवारी का विवादित आराजी में हित निहित नहीं होना जाहिर किया गया है। वादीगण ने जाहिर किया कि सत्यनारायण व बनवारी अन्य गांव में गोद चले गए हैं, लेकिन उन्होनें वाद के समर्थन में कोई रजिस्ट्रड गोदनामा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह साबित हो सके कि सत्यनारायण व बनवारी गोद चले गये हो। वादीगण द्वारा तथाकथित गोद जाने वाले गजा के पुत्रों को दावे में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। फलस्वरूप आवश्यक पक्षकारों के अभाव में दावा खारिज किए जाने योग्य है।

पत्रावली पर तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि जमाबंदी में वादीगण के अलावा दर्ज गजा के दो अन्य पुत्र अन्यत्र गोद चले गए हैं। तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर निजी पक्षकारों के स्वत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो। हस्तगत प्रकरण में उक्त बनवारी व सत्यनारायण दोनों सह खातेदार दावे की कार्यवाही में वादीगण द्वारा बतौर पक्षकार सम्मिलित नहीं किया गया है। फलस्वरूप तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर वादीगण के पक्ष में दावे का निर्णय किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

अतः सत्यनारायण, बनवारी का नाम खातेदारी से हजफ करने का अनुतोष ख़ारिज किये जाने लायक़ हैं।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वादीगण के पूर्वज का नाम गजा है जो कि त्रुटिपूर्ण रूप से गंगा दर्ज हो गया है। वादीगण के पूर्वज का नाम प्रदर्श 2, 4, 5, 6, 7, 8 में गजा दर्ज है। अतः गंगा नाम के स्थान पर गजा दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.9100 है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 1.4200 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 4.5600 है0, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.04 है0 तथा खसरा नम्बर 8 रकबा 6.79 है0 वाके ग्राम सवाईलक्ष्मणपुरा तहसील रामगढ़ शेखावाटी में गंगा के स्थान पर गजा दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। वादीगण के अन्य अनुतोष साबित नही होने पर खारिज किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Singh
Date: 2020.02.06 11:25:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: